(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 2368–तीन/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–4–2001 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 97/2000–01/अपील.

ओमप्रकाश माहेश्वरी पिता श्रीकृष्णदास माहेश्वरी
निवासी पटवा गली, आगर मालवा
जिला शाजापुर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, शाजापुर .....प्रत्यर्थी

श्री एस.एन. सिसौदिया अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/12/12 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक खनिज अधिकारी, शाजापुर द्वारा भ्रमण के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पचेटी आगर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1154 रकबा 8.05 हेक्टेयर से अवैध मिट्टी का उत्खनन किया गया है । अतः सहायक खनिज अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 67/अ–67/96–97 दर्ज कर दिनांक 16–9–2000 को आदेश पारित कर अपीलार्थी पर रूपये 10,00,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–4–2001 को आदेश पारित कर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे खनिज अधिकारी से विधिवत मिट्टी के मूल्य की गणना

करवाकर नियमानुसार दण्ड अधिरोपित करें । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं होकर व्यक्तिगत निजी भूमि है । इस आधार पर कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा शासकीय भूमि से कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा मिट्टी का उपयोग शासकीय कार्य में किया गया है, इसलिए उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा मिट्टी के मूल्य की गणना करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी पर कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं की जा सकती है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा खनिज अधिकारी से विधिवत उत्खनित मिट्टी के मूल्य की गणना करवाये जाने हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही है । चूंकि आयुक्त द्वारा प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और उनके द्वारा जो आधार इस न्यायालय के समक्ष उठाये गये हैं, उन आधारों को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर, शासकीय भूमि पर अवैध उत्खन नहीं करना सिद्ध कर सकते हैं । अतः आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2001 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर